फार्म एल॰ एल॰ डी॰ FORM L.L.D. (दिल्ली मोटर बाहन नियमावली, 1989 का नियम 2.3) (Rule 2.3 of Delhi Motor Vehicle Rules, 1989)

लापता या नष्ट लाइसेंस से सम्बन्धित प्रपन्न तथा दूसरी प्रति के लिए आवेदन। Intimation of Loss or destruction of Licence and application for duplicate.

सवा म,		
To,		
लाइसेंसिंग प्राधिकारी		
The Licensing Authority,		
मैं/1		
स्थाई पता/with my permanent addre	ss as	
	इविंम लाइसेंस जिसका विवरण नीचे दिया गया है, खो ग्रा/नष्ट ह	
hereby report that my driving licence	e, the particulars of which are given below has been los	st/destroyed.
1. लाइसेंस नं॰		
Licence No.		
2. लाइसेंसिंग प्राधिकाी का नाम		
나는 마음에게 되는 이번 가는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니	/	
3. जारी होने की तारीख		
4. जिसके जारी होने की तारीख		
Vehicle for which licenced		
५ तक मान्य		
Valid upto		
 पृष्यकंन, यदि कोई हो 		
Endorsement, if any		के जा कि साम जारकी पान नाना है तो मैं उसे लाइसेंसिंग पाधिकारी के
	कि लाइसैंस किसी प्राधिकारी की और से जब्द नहीं किया गया ह	है तथा किसी समय लाइसेंस मिल जाता है, तो मैं उसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी के
पास जमा करा दूंगा।		will return the same to the Licensing Authority if at any stage the
I solemnly declare that the licence is found.	icence has not been impounded by any authority and i	will return the same to the Edward Transfer
incence is found.	रसीद सं॰	
दिनांक		કાર્ય પ્રમા માર્યા પ્રમા હા
		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
The duplicate licence fee h	as been paid vide receipt No.	या निशानी अंगूळ
		Signature of thumb impression
		of the applicant
दिनांक/Date		
	(लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय के प्र	
	(FOR OFFICE USE OF LICENSING	AUTHORITY)
। ऊपर लिखित विवरण की जांच		
The particulars as given ab		A
 अभिलेख के अनुसार प्रतिकृल ! The adverse entries as per ! 		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
에 HER 스타트 (1) 12 HE (1) 12 - 12 HE (1) 1	कारण से जारी कर दिया/जारी न किस्रा जाए:-	
Duplicate licence may be i	ssued/refused on account of reasons given below:	